



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक ०१ / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-5

दिनांक : ०१.०१.२०२२

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कार्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि सम्बन्धित समिति की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	मान्यता वृद्धि की तिथि	उद्देश्य
1	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, जियामारु, लखनऊ	31.12.2021	01.01.2022 से 31.03.2022 तक	कैंसर रोगों हेतु (सी०जी०एच०एस० दरों पर)
2	टाटा मैमोरियल हास्पिटल, मुम्बई	31.12.2021	01.01.2022 से 31.03.2022 तक	कैंसर रोगों हेतु
3	अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली	31.12.2021	01.01.2022 से 31.03.2022 तक	निर्धारित छः रोगों हेतु
4	सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली	31.12.2021	01.01.2022 से 31.03.2022 तक	सभी रोगों हेतु
5	इन्द्रप्रस्थ अपोलो कैंसर हॉस्पिटल, नई दिल्ली	31.12.2021	01.01.2022 से 31.03.2022 तक	कैंसर रोगों हेतु
6	कैलाश हॉस्पिटल एण्ड हॉर्ट इन्स्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा,	30.06.2021	01.07.2021 से 31.03.2022 तक	सभी रोगों हेतु
7	मूलचन्द मेडिसिटी, लाजपत नगर-111, नई दिल्ली, 110024	30.06.2021	01.07.2021 से 31.03.2022 तक	सभी रोगों हेतु

1. क्रम संख्या 01 में अंकित चिकित्सालय द्वारा प्रदान की गयी सहमति के उपरान्त उक्त चिकित्सालय सी०जी०एच०एस० दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा।
2. क्रम संख्या 2 से 07 में अंकित चिकित्सालय उनके साथ पूर्व में हुए अनुबन्ध में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा चिकित्सालय में प्रभावी दर सूची के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे।

नोट :-

2. उत्तराखण्ड राज्य तथा राज्य से बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान स्वतः मान्यता प्राप्त है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : ०१ / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक/डा०ए०आँ०-निदेशक (परि०एवंअनु०)/(परियोजना)/(मा०सं०)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित चिकित्सालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)